उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग–6

संख्या– 2914/पांच–6–10–23रिट/11

लखनऊः दिनांकः 04 दिसम्बर 2012 जनवरी

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा रिट याचिका संख्या 4688/2011 यू0पी0 डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.11 के अनुपालन में यह अवगत कराते हुये कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0, भारत सरकार के आदेश दिनांक 25.11.03 एवं 05.05.10 के अनुसार ही समान अवधि के समान पाठयकम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है, अपना प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.11 प्रेषित करते हुए भारत सरकार द्वारा पारित आदेश संख्या V25011/276/2009-HR दिनांक 05.05.10 के अनुरूप निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– रिट याचिका संख्या 4688/2011 यू0पी0 डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–05–11 को पारित आदेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत् है–

"We without enterinting into tne claim of the petitioner,dispose of the writ petition with a direction that the representation of the petitioner shall be considered and decided by the authority concerned expeditiously say; within a maximum period of eight weeks from the date of receipt of the ceritfied copy of this order."

3– मा0 उच्च न्यायालय के उपरिसन्दर्भित आदेशों के आलोक में प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रजात आदि का गहराई से परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा दिनांक–05.05.10 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसे यहाँ उदधृत करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

"यह आदेश 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या–31904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक–03.08.09 के आदेश के अनुसरण में पारित किया जाता है जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया है कि "याचिकाकर्ता" विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अभिलेख प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दे सकता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन पाठयकम को मान्यता प्रदान करने के संबंध में होगा तो प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह के भीतर एक सुविवेचित एवं आख्यापक आदेश द्वारा मामले पर

निर्णय देगा। यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा सुनवाई का वैयक्तिक अवसर प्रदान किया जाएगा।

एनईएचएम ने डा0 एन0के0अवस्थी के जरिए सचिव के समक्ष एक अभ्यावेदन दिनांकित 28.10.09 फाइल किया जो 30.11.09 को प्राप्त हुआ। इस अभ्यावेदन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित है–

1. इलेक्ट्रोपैथी जड़ी–बूटी पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है और इसकी औषधें आसवित जल की सहायता से औषधीय पादपों से तैयार की जाती है। इसलिए इसकी औषधें शत–प्रतिशत सुरक्षित एवं रोगहर है।
2. किसी रोगी की मृत्यु के बारे में सरकार को एक भी शिकायत नहीं मिली है। सरकार के पास एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया हैं।
3. इलेक्ट्रोपैथी के समर्थन में अनेक न्यायालयी निर्णय दिए गए है। इस दावे के समर्थन में अभ्यावेदन के साथ इन मामलों से संबंधित आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई है।
4. न्यायालयी मामलों के अलावा, अभ्यावेदन में विश्व परिषद के साथ संबंधन, जी0बी0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रिर्पोट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री के दिनांक–14.06.91 एवं 17.06.91 के पत्र; सरकारी चिकित्सा परिषदों के पत्र, संसदीय प्रश्नों के उत्तर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना, गैर सरकारी विधेयक, पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पत्र, इंडियन जर्नल आफ वेटरिनेअरी मेडिसिन, पंजाब एग्रीकल्चर मैगजीन, लुधियाना में प्रकाशित लेख, जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना और एस0एस0पी0 आगरा (उत्तर प्रदेश) के पत्र, मध्य प्रदेश सरकार के पत्र तथा इलेक्ट्रोपैथी संबंधी कुछ प्रकाशन (पुस्तकें एवं पत्रिकाएं) भी प्रस्तुत किए गए है।
5. डा0 अवस्थी ने अभ्यावेदन किया है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय को निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के संवर्धन विकास एवं अनुसंधान (शिक्षा एवं प्रैक्टिस) के लिए एनईएचएम को शुरू में कम–से–कम 15 वर्षों की अनुमति दे कर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को आश्रय देना चाहिए जिससे कि बना किसी बाधा के नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक मानदण्ड हासिल किए जा सकें।
6. मंत्रालय में अभ्यावेदन की जांच की गई। इसके तथ्य निम्नलिखित है–
   (i) अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 1992 के वाद संख्या 27 के अंतर्गत दिनांक 14.08.92 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि वाद की विचाराधीनता के दौरान वादी के कार्यकलाप के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना जारी न की जाए।
   (ii) एफ0ए0ओ0 संख्या 1998 का 1205 में दिल्ली उच्च न्यायालय के नवम्बर, 1998 का आदेश सार्वजनिक सूचना में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्रत्यर्थी सं0 10 से डिप्लोमा/प्रमाण पत्र धारण करने

वाले व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए पात्र नहीं है।

(iii) एस०एल०पी० संख्या 11262/2000 (भारत संघ बनाम नेचुरो इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकोज ऑफ इंडिया) में 12.01.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश:

"प्रत्यर्थी के लिए विद्वत काउंसेल ने बतलाया है कि उनके अनुदेशों के अनुसार अभिलेख पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर उपदर्शित सीमा तक सी०डब्ल्यू०पी० संख्या 4015/96 में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकर कर लिया गया है और मामले के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्देश गैर–आपवादिक है"

"12.10.2000 को हमारे द्वारा दिए गए आदेश तथा इस बात के मद्देनजर कि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, सी०डब्ल्यू०पी० संख्या 4015/96 में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए हम मामले पर विचार करने से इनकार करते है।"

(iv) जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 19.03.1999 के आदेश 2957/94 जिसमें अनिवार्यतः यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा किसी भी विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस किसी भी संविधि द्वारा विनियमित नहीं होती है और इसलिए विनियमन/प्रतिषेध के अभाव में उन्हें प्रैक्टिस बंद करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस अथवा शिक्षण को शासित करने संबंधी कोई भी विधान संघ अथवा राज्य द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्रवाई की है। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह अधिनियम केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर ही लागू होता है तथा न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय के ध्यान में कोई और विधि नहीं लाई गई थी। जब तक इस शाखा को विनियमित करने के लिए कोई वैद्य कानून नहीं बनाया जाता तब तक याचिकाकर्ता को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा प्रदान करने से रोकना गैर कानूनी है।

(v) रिट याचिका संख्या 2462/08 में जबपुर बेंच, ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें दिशानिर्देश दिए गए थे कि रिट याचिका 2957/94 में आदेश लागू होंगे।

उपर्युक्त के अलावा दसई चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री द्वारा दिनांक 17.06.1991 को श्री जगन्नाथ सिंह, सांसद को भेजा गया अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2921/डीएम (एच एंड एफ डब्ल्यू) 91/वीआईपी को भी संलग्न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:

"मैंने भारत में इलेक्ट्रोपैथी के विकासात्मक संवर्द्धन और अनुसंधान के लिए एनईएचएम इंडिया को प्राधिकृत किया है।"

4– भारत सरकार द्वारा महानिदेशक आईसीएमआर की अध्यक्षता में गठित "विशेषज्ञ स्थाई समिति" की सिफारिशों के आधार पर आदेश संख्या आर0 14015/25/96– यू एंड एच (आर) (पार्ट) दिनांक–25 नवंबर, 2003 जारी किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित आदेश दिए है:

समिति ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्यापैथी और योग एवं नैचुरोपैथी, जिन्हें चिकित्सा पद्धति की मान्यता संबंधी समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य एवं वांछनीय मानदंड पूरा करते हुए पाया गया था, के सिवाय वैकल्पिक पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की थी।

समिति ने यह और सिफारिश की थी कि पृथक पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान न की गई चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्रियां जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिशनरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। थेरेपी के रूप में माने जाने वाली पद्धति पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के लिए प्रमाण पत्र पाठयक्रम के रूप में की जा सकती है।

तथापि समिति ने सिफारिश दी की थेरेपी के रूप में अर्हक एक्यूपंक्चर जैसी कतिपय प्रैक्टिसों को पंजीकृत प्रैक्टिशनरों अथवा उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रैक्टिस करने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

अनिवार्य और वांछनीय मानक के आधार पर समिति ने इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में अर्हक होना नहीं पाया। अतः यह स्पष्ट है कि इस आदेश के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं कर सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले "डॉक्टर" शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते है।

एनईएचएम, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अनुसार एनईएचएम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठयक्रम संचालित कर रहा है न कि पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम।

जहां तक उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठयक्रमों को मान्यता प्रदान करने का संबंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुर्विज्ञान परिषद्

जैसा संबद्ध निकाय / सांविधिक निकाय पाठयक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। चूंकि इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है अतः स्वास्थ्य मंत्रालय में उनके द्वारा संचालित किसी भी पाठयक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली नहीं है।

एनईएचएम ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अनुसार यह चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य और वांछनीय मानकों की पूर्ति करता हो।

तथापि दिनांक 25 नवंबर, 2003 का आदेश संख्या आर० 14015/25/96–यू एंड एच (आर) (पार्ट) इलेक्ट्रोपैथी के विकास और अनुसंधान को प्रतिषेध नही करता है।

यहां उद्धत मा० उच्च न्यायालय और मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार "तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि यह दिनांक 25 नवंबर, 2003 के आदेश संख्या आर० 14015/24/96–यू एंड एच (आर) (पार्ट) के प्रावधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियमन होने के पश्चात् किसी भी कियाकलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा।"

5– शासनादेश सं0 1151/5–6–11–डब्लू (दि0 18.04.11 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिग्री धारकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति तथा डाक्टर शब्द प्रयोग करने की अनुमति दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18–05–11, में याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिये गये हैं और याची द्वारा अवगत कराया गया है कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0, भारत सरकार के आदेश दिनांक 025.11.03 एवं 05.05.10 के अनुसार ही समान अवधि के समान पाठयकम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

अतः उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 4688/2011, यू0पी0 डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.11 के अनुपालन में याची मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन, बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.11 भारत सरकार द्वारा पारित आदेश संख्या

(6)

V25011/276/2009-HR- दिनांक 05.05.10 के अनुसार एतद्द्वारा निम्नवत निस्तारित किया जाता है:-

"तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जबतक कि यह दिनांक 25.11.03 के आदेश संख्या-आर-14015/24/96 यू0एण्ड एच0 (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी किया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2914 (1)/पाँच-6-10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
2- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्स सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्स सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी।
6- मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0, टंडन मार्केट, 8 लालबाग, लखनऊ, प्रा0शा0 कार्यालय-127/204, "एस" जूही, कानपुर।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार गोयल)
विशेष सचिव।

<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

सं. वी. 25011/331/2010-एच आर
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)
****

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक अगस्त, 2010

सेवा में,

डा. कैसर अहमद शेख,
सचिव,
इंस्टीच्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ इंडिया,
न्यू कॉलोनी, कटघरा,
पोस्ट सदर, जिला : जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

विषयः- इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित सूचना मांगने के संबंध में डा. कैसर अहमद शेख का आर टी आई आवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपके दिनांक 07.05.2010 के पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। उक्त पत्र में आपके द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना का विवरण नीचे दिया गया है :-

बिन्दु सं.	बिन्दु	उत्तर
1	क्या मो. सलीम, अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 07.05.2010 का आदेश सही एवं विश्वसनीय है ?	जी हाँ
2	क्या 07.05.10 का आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ इंडिया पर भी लागू होगा ?	आदेश की प्रति संलग्न है।
3	क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश	

2/-

	05.05.10 से पूर्व अनावश्यक हो जाएंगे ?	
4	क्या दिनांक 07.05.2010 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट और समस्त भारत के चिकित्सकों पर लागू होगा ?	जी हाँ

2. आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार इस विभाग में संयुक्त सचिव सुश्री शालिनी प्रसाद, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

भवदीय,

(जे.पी.मेहता)
उप सचिव, भारत सरकार
एवं सी पी आई ओ
फोन : 23062666

[illegible]

अनुभाग अधिकारी (समन्वय-II) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके पृष्ठांकन सं. 822/12.07.2010 के संबंध में प्रतिलिपि प्रेषित ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः– मु0चि0अ0 / जनसुचना / 2013 | 4021 दिनांकः:– 10.06.2013

सेवा में,

डा0 अशोक कुमार,
सी0एम0एम0ई0ओ0आफिस,
अमर माया एन्कलेव,वादपुर रोड,
बुलन्दशहर उ0प्र0 203001।

विषयः–जनसुचना अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आप द्वारा वांछित सूचना के सम्बंध मे

महोदय,

आप द्वारा वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नवत है।

1. जनपद गौतमबुद्धनगर में इलैक्टोहोम्योपैथी की शिक्षा,चिकित्सा अभ्यास करने पर कोई रोक नही है जब तक कोई व्यक्ति उ0प्र0 शासन के चिकित्सा अनुभाग 06 द्वारा जारी दिनांक 04.01.2012 के दिशानिर्देशों का उलघन नही करता।
2. उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Sdml/AV

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी झाँसी।

संख्या :– सी0एम0ओ0 / जन सूचना / 2015–16 / 10969   दिनांक : 18/3/16

डॉ0 अशोक कुमार
ई0एच0ए0एम0बी0, ऑफिस
अमर माया एन्कलेव,
कानपुर रोड, (बुलन्दशहर)।

विषयः–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन इलैक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा करने की जानकारी।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक दिनांक 13.04.2016 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि जिले में इलैक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा देने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

सूचना संख्या 2 के सन्दर्भ में कहना है कि इस कार्यालय में एलोपैथिक, आर्युवेदिक, यूनानी–होम्योपैथिक डेण्टल से सम्बन्धित चिकित्सा पद्धति से पंजीकरण किया जाता है। अब इलैक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीकरण भी किया जायेगा।

जन सूचना अधिकारी /
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

2018 का विधेयक सं 13

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन, चिकित्सा की उक्त पद्धति के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित और गठित राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "इलेक्ट्रोपैथी" से स्पेजाइरिकल कोहोबेशन (बार-बार आसवन) की विधि, जिसमें पादपों की जीवन शक्ति को सूक्ष्म, व्यापक स्वरूप में एकत्रित किया जाता है और जड़ी-बूटियों के अर्क को खोजा जाता है, द्वारा तैयार औषधियों द्वारा रोगों के इलाज पर आधारित उन्नीसवीं सदी में इटली के डॉ. काउंट सिसेर मतैई द्वारा स्थापित चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें उसका अध्यक्ष सम्मिलित है;

(ङ) "व्यवसायी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का व्यवसाय करता है;

क्लिनिकल इस्टेबल्सिमेन्ट एक्ट 2010 में इलैक्ट्रोपैथी क्लिनिक को रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं जरूरत ।

7

Dy.NO. 47/RTI/2011-H
Government of Indian
Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
(Hospital Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 14th February , 2011.

To,

Sh.Ramesh Manju Parmar,
At- Mithapur, Area-Arambhada,
Th-Dwarka, Jamnagar,
Gujarat-361345

Subject:- **Application under RTI Act ,2005**

Sir,

With reference to your RTI application dated 15.12.2010 transferred from President's secretariat vide their letter No. 1590/RTI/12/10-11 dated 28.01.2011 received in this section on 09.02.2011, I am to inform you that as per section 2 © (i) and 2(h) of **the Clinical Establishment (Regulation & Registration) Act, 2010,** all recognized systems of medicine ie Allopathy, Yoga, Naturopathy, Ayurveda, Homeopathy, Siddha and Unani system of medicines or any other System of medicine as may be recognized by the Central Government, will be allowed for registration. On the issue of recognition of Electro-Homeopathy as recognized system of medicine, this Ministry has issued an order vide File No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 stating that Electro Homeopathy is not yet recognized as a system of medicine. **However, there is no bar on practicing electro homeopathy or imparting education (Copy enclosed).**

An appeal, if any , against this reply may be made to the Appellate Authority, Dr.Arun K. Panda, Joint Secretary, Department of Health & Family Welfare, within 30 (thirty) days of the receipt of this letter.

V.P.Singh
Deputy Secretary to the Govt. of Indian
Tel. No. 23062791